



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड
सामान्य सेवाएं संगठन
संपदा रखरखाव कक्ष
तारापुर

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना: बीएआरसी/एनआरबीटी/जीएसओ/इएमसी (सीएम & इएम)2024 / 07

दिनांक: 23/04/2024

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप. मुख्य कार्यकारी, नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड, परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर द्वारा निम्नालिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात भाग 'A' - योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात तथा भाग 'ba' - वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हों अथवा ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता रखते हों।

| | | |
|----------|--|---|
| i) | कार्य का नाम | भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्टाफ कोलोनी, तारापुर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना। |
| ii) | कार्य की अवस्थिति | भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्टाफ कोलोनी तारापुर। |
| iii) | अनुमानित लागत | रु.3,94,00,000/- (रुपए तीन करोड़ चौरानवे लाख मात्र।) |
| iv) | बयाना राशि(ईएमडी) | रु. 7,88,000/- (रुपए सात लाख अठ्ठासी हजार रूपये मात्र।) |
| टिप्पणी: | बयाना राशि मूलरूप में वरीयत: बोईसर, महाराष्ट्र में देय भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्रिफ्री बीएआरसी, तारापुर के नाम से जारी किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी स्थायी जमा / अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में बयाना राशि का कम से कम 50% या रु. 20.00 लाख, जो भी कम हो, उपर्युक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए एवं शेष राशि, निविदा भाग 'A' के परिशिष्ट 'क' के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। जमा बयाना के भाग के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी निविदा प्रस्तुतीकरण की तिथि से छह माह की अवधि या उससे अधिक के लिए वैध होगा। कार्यनिष्पादन गारंटी (पुष्टीकरण के बाद) प्राप्त होने के बाद बोली के साथ जमा किया गया बयाना वापस किया जाएगा। | |
| v) | निविदा दस्तावेज का मूल्य | शून्य |
| vi) | निविदा प्रक्रिया शुल्क | शून्य |
| vii) | पूर्णता की अवधि | 24 महीने। |

| | | |
|-------|---|---|
| viii) | डाउनलोड हेतु दस्तावेजों के उपलब्धता की तारीख | https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक 29/04/24 (10:00 बजे) से अंतिम तारीख तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली को प्रस्तुत करने का समयक। एनआईटी www.barc.gov.in वेबसाइट पर केवल देखने के लिए भी उपलब्ध है। |
| ix) | बोली-पूर्व बैठक की तारीख एवं स्थान | बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि दिनांक 13/05/2024 तक ईमेल के माध्यम से बोली-पूर्व अपनी पूछताछ भेजें। प्री-बिड मीटिंग दिनांक 15/05/2024 (15:00 बजे) को इएमसी कार्यालय बीएआरसी स्टाफ कोलोनी में आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व स्पष्टीकरण https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक 17/05/2024 तक अपलोड किए जाएंगे। |
| x) | निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अवधि | 21/05/2024 (10:00 बजे) से: 27/05/2024 (15:00 बजे) तक। |
| xi) | भाग 'A' को ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय | 03/06/2024 (15:00 बजे) |
| Xii) | योग्य/ बोलीकर्ताओंके भाग 'ba' को खोलने की तारीख | https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर बाद की तारीख को अधिसूचित की जाएगी। |

सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश:

सूचना :

- निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात भाग 'A' (योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात) एवं भाग 'ba' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'A' में योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात है यथा : खंड I- निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश , ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V- तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची प्रोफार्मा। भाग 'ba' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'A'-प्रमात्राओं एवं दरों की अनुसूची है।

बोलीकर्ताओं के पास क्लारस III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। निविदा में भाग लेने के लिए, भावी बोलीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यूज़र आईडी/पासवर्ड एवं क्लारस III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के होमपेज में लॉगइन करें।

भावी बोलीकर्ताओं द्वारा एक्सेल फॉर्मेट मूल्यी बोली को डाउनलोड करके एक्सेल दस्तावेज को भरकर और उसका नाम बदले बगैर अपलोड किया जाना आवश्यक है। कृपया निविदा के प्रस्तुतीकरण हेतु हेल्प मैनुअल का संदर्भ लें /एनआईटी के अनुसार हेल्पा डेस्क से संपर्क करें।

इस निविदा के लिए कोई ड्राइंग लागू नहीं है।

बीएआरसी परिसर, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, में प्रवेश के लिए भावी बोलीकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे फोटो पहचान पत्र अपने साथ लाएगा। बोलीकर्ता को फोन या ईमेल पर इस संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी ताकि एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में प्रवेश की व्यवस्था की जा सके।

सफलता प्राप्त बोलीकर्ता को कार्य दिए जाने के बाद उपर्युक्त सभी दस्तावेज अनुबंध के भाग होंगे।

आरंभिक पात्रता मानदंड

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(ए) राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी (पंजीकरण) अधिनियम, 2005 (पीएसएआर अधिनियम- 2005)/समतुल्य अधिनियम के तहत पंजीकृत और लाइसेंस धारक बोली एजेंसी ही लागू होनी चाहिए।

(बी) न्यूनतम रु. 1,57,60,000/- का किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र तथा निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(सी) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले 3 लगातार वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम रु. 1,97,00,000/- का औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर होना चाहिए। इसे किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति अपलोड किया जाए) जिस वर्ष में कोई टर्नओवर नहीं किया गया है, उसे भी औसत निकालने के लिए गिना जाएगा।

(डी) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्षों में कोई हानि नहीं होनी चाहिए।

(ई) गत 7 वर्षों के दौरान इस तरह का कार्य किया हो।

(एफ) अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए बोली लगाने वाले के पास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा और प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए।

(जी) वर्दी और आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और उसके रखरखाव पर होने वाला खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

(एच) वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।

(आई) स्थायी खाता सं (पैन) कार्ड की प्रति।

(जे) पी एफ पंजीकरण सं.।

(के) विभिन्न क्लायंटों हेतु किए गये कार्य के मूल्य के सबूत हेतु टीडीएस प्रमाण-पत्र।

(एल) बोलीकर्ता एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सरकार विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम द्वारा पिछले 7 वर्षों में निविदा से विवर्जित नहीं किया गया है। यदि बोलीकर्ता को विवर्जित हो तो, तो उसे विवर्जित होने का विवरण घोषित करना होगा और विवर्जित होने संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मामले के गुण-दोषों पर विचार-विमर्श करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी बोलीकर्ता की पात्रता संबंधी निर्णय करेगा।

(एम) जिस माह में निविदा के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, उसके पूर्व माह के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले सात (07) वर्षों के दौरान सभी परिप्रेक्ष्य, में (कार्य के क्लाइंट द्वारा मुख्तर ठेकेदार के रूप में निष्पादन के प्रमाणपत्र के आधार पर) समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किये गये जाने का अनुभव। निविदा प्रस्तुतिकरण के अंतिम तारीख के पूर्व दिवस तक पूरा किये गये कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। संयुक्त उद्यम में कार्य स्वीकार्य नहीं हैं।

(एन) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई.॥, संशोधन, दिनांक 16/09/2020 और समय-समय पर संशोधित।

4. बोलीकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से पूरा (कार्यों के क्लाइंटों द्वारा कार्यनिष्पादन के प्रमाणन पर आधारित) कार्य किया जाना चाहिए।

(i) 3 (तीन) समान कार्य, प्रत्येक कार्य का कीमत अनुमानित लागत के रु 1,57,60,000/- (अनुमानित लागत का 40%) से कम नहीं होनी चाहिए,

अथवा

(ii) 2 (दो) समान कार्य, प्रत्येक कार्य कम्प्लीमट अनुमानित लागत के रु. **2,36,40,000/-** (अनुमानित लागत का 60%) से कम नहीं होनी चाहिए

अथवा

(iii) 1 (एक) समान कार्य, जिसकी कीमत अनुमानित लागत के रु. **3,15,20,000/-** (अनुमानित लागत का 80%) से कम नहीं होनी चाहिए।

iv) यदि अनुमानित लागत 20 करोड़ से अधिक है, तो उपरोक्त के अलावा, किसी भी प्रकृति का एक पूर्ण कार्य (उपरोक्त कार्यों का कोई भाग या अलग) जिसकी लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ केंद्रीय सरकार विभाग/राज्य सरकार विभाग/केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/शहर विकास प्राधिकरण/शहर के नगर निगम के साथ केंद्र/राज्य सरकार द्वारा किसी भी अधिनियम के तहत गठित और केंद्रीय में प्रकाशित /राज्य राजपत्र।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान और यदि केंद्र सरकार के विभाग / राज्य सरकार के विभाग / केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / केंद्रीय स्वायत्तशासी में पात्र समान कार्य नहीं किए गए हैं इसके लिए बोली लगाने वाले को निकाय, टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. इस प्रयोजन के लिए, 'कार्य की लागत' का अर्थ सरकार/ग्राहक द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की लागत सहित पूरे किए गए कार्य का सकल मूल्य होगा, लेकिन मुफ्त आपूर्ति की गई सामग्री को छोड़कर। इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'समान कार्य' का अर्थ है "संपत्ति/परिसर/सुविधाओं की सुरक्षा के लिए निगरानी और रख-रखाव के कर्तव्य" समान कार्य भारत में निष्पादित कार्य होना चाहिए। संयुक्त उद्यम कार्य का मूल्य स्वीकार्य नहीं है।

6. निष्पादित कार्यों के मूल्य को कार्य के वास्तविक मूल्य को 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ाकर वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना पूर्ण होने की तिथि से बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक की जाएगी।

7. बोली लगाने वाले की बोली लगाने की क्षमता निविदा में रखे गए कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली लगाने की क्षमता निम्नलिखित सूत्र से निकाली जाएगी:

$$\text{बोली लगाने की क्षमता} = (A \times N \times 2) - B$$

जहाँ,

A = पूरा किये गये तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में किये गये कार्य में अधिकतम टर्नओवर। पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य को 7% प्रतिवर्ष के साधारण दर से बढ़ा करके वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा।

N = कार्य, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई है, की पूर्णता हेतु निर्धारित किये गये वर्षों की संख्या।

B = कार्य, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की की गई है, की पूर्णता की अवधि के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा किया जाना तथा वर्तमान प्रतिबद्धताएं।

8. यद्यपि कोई बोलीकर्ता उपरोक्तव आवश्यकता को पूरा कर सकता है वह अयोग्य माना जाएगा यदि उसने

- (i) भ्रमात्मक अथवा झूठा अभ्यावेदन किया है अथवा योग्यता मानदंड कागजात में अपेक्षित फार्मों, कथनों तथा संलग्नों में दी गई सूचना को जानबूझकर छिपाया है।
- (ii) वित्तीय असफलता/कमजोरी इत्यादि अथवा ठेके को ठीक से न पूरा करने, कार्य को छोड़ देने जैसे खराब कार्यनिष्पादन का रिकार्ड रखता है।
- (iii) बोलीकर्ता अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के कदाचार या कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल है।

(iv) बोलीकर्ता के खिलाफ यदि पऊवि सुरक्षा से कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होता है।

9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म/कंपनी होनी चाहिए। संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है।

शर्तें :

10. निविदा के भाग 'A' के खुलने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी, एक निरीक्षण दल गठित करेंगे, जो निम्नलिखित आधार पर आधारित निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/ पूर्ण किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके :-

ए) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर।

बी) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।

सी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।

डी) कंपनी की संगठनात्मक संरचना।

ई) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन।

एफ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता।

जी) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति।

एच) क्षेत्र नियोजन क्षमता।

आई) कंपनी की कार्य को बैंक टू बैंक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति।

जे) किसी सरकारी विभाग /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा बोलीकर्ता को विवर्जित किए जाने का स्वीरूप(यदि कोई हो तो)

अर्हता मानदंड से संबंधित कागजातों का मूल्यांकन : इसे एनआईटी में संदर्भित योग्यता मानदंड पर आधारित वित्तीय बोली को खोलने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तक 2014 के परिशिष्टप 20 के अनुलग्नक -1 के अनुसार किया जाएगा।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन : वित्तीय बोली को खोलने की तिथि को उन बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा जिनके भाग 'A' (अर्हता मानदंड से संबंधित कागजात) को विभाग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तथा केवल ऐसे बोलीकर्ताओं के भाग 'ba' (वित्तीय बोली) को खोला जाएगा।

इंगित कार्य की अनुमानित लागत केवल लगभग है और ठेकेदार दरों की विस्तार से गणना करेगा।

11. आवेदक को पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित प्रारूप में बोली का भाग-बी खोलने से पहले मूल शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा :

“मैं/हम वचन देता हूँ/दिते हैं तथा यह निश्चित करता हूँ/करते हैं कि योग्य समान कार्य बैंक टू बैंक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है। आगे, यदि ऐसा उल्लंघन विभाग के ध्यान में आता है, तब मैं/हम हमेशा-हमेशा के लिए भविष्यमें एनआरबी, भापअके(बीएआरसी) में ठेके की निविदा करने के लिए विवर्जित हो जाऊंगा/जाएंगे।”

“मैंने, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण करने पर प्रतिबंध और ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके पर देने से संबंधी अनुलग्नक - I के खंड को पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह बोलीकर्ता ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से है तो सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के किसी ठेकेदार को किसी कार्य का उप-ठेका तब तक नहीं देगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत न हो। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह बोलीकर्ता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है। (जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा।)”

12. भाग 'A' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो उन्हें भविष्य में भापअ केंद्र में निविदा देने/कार्य करने से वंचित किया जा सकता है और सरकार किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अर्नेस्ट मनी जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके अलावा, यदि ऐसा उल्लंघन कार्य शुरू होने से पहले विभाग के संज्ञान में आता है, तो प्रभारी अभियंता को बयाना राशि/निष्पादन गारंटी की पूरी राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
15. कार्य को करने के लिए समय की गणना कार्य शुरू करने के लिए कार्य आदेश जारी किए जाने के 15वें या कार्य शुरू करने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, के अनुसार की जाएगी।
16. निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से **180 दिनों** के लिए वैध रखी जाएगी। यदि कोई बोलीकर्ता अपनी निविदा को वैधता अवधि के भीतर और कार्य प्रदान करने से पहले, जो भी पहले हो, वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इसके अलावा, बोलीकर्ता को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17. यदि निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा।
18. संभावित बोलीदाता को **1(iv)** में वर्णित एफडीआर/डीडी/बीसी जैसे ईएमडी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए और मूल (ओं) को प्रभारी अभियंता, एस्टेट रखरखाव सेल, वीएआरसी स्टाफ कॉलोनी, तारापुर, पोस्ट - टीएपीपी, बोईसर, तालुका और जिला - पालघर, पिन नं. **401504** के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए भाग-ए खोलने से पहले। ऐसा न करने पर निविदा खारिज कर दी जाएगी।
19. बिल के समग्र रकम की 2.5% की दर से प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल तथा अंतिम बिल से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि कार्य के निविदाकृत मूल्य के 2.5% के प्रतिभूति जमा के बराबर न हो जाए।

सुरक्षा जमा किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। किसी अनुसूचित बैंक के फिक्सड डिपॉजिट रसीद को भी स्वीकार किया जाएगा।
20. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर अथवा कार्य प्रारंभ करने से पहले, जो भी पहले हो, जमा किये जाने के लिए किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपॉजिट रसीद/ बैंक गारंटी/बैंकर्स चेक के रूप में कार्य निष्पादन गारंटी के रूप में ठेका के निविदा मूल्य के 5% की समतुल्य राशि को निष्पादन गारंटी के रूप में जमा करना होगा।
21. यदि सफल बोलीकर्ता, कार्य आदेश जारी करने की तारीख से अथवा कार्य प्रारंभ करने की तारीख के पूर्व, जो भी पहले हो, के 15 दिनों (तथा अनुसूची "एफ" में उल्लेख की गई अनुग्रह अवधि की शर्तों पर के भीतर निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो विभाग [भापअके(वीएआरसी)] किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को बिना किसी सूचना दिए पूर्ण रूप से जब्त कर सकता है।

22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है तथा जो ठेकेदार सिफारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
25. कोटेशन जमा करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें:
- कोट किए गये दर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल होगा तथा ठेकेदार द्वारा देय होगा एवं एनआरबी, बीएआरसी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी। ठेकेदार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा कार्य पर वर्तमान आदेश के अनुसार लागू जीएसटी ठेकेदार द्वारा संबंधित कर प्राधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।
 - यथा लागू श्रम कल्याण उपकर ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से वसूल की जाएगी।
 - आयकर, जीएसटी टीडीएस एवं अन्य कोई कर जैसा लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से काटा जाएगा।
 - सभी कर्मियों को लागू न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।
 - ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। ठेकेदार को ठेका कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी को संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ईपीएफ एवं ईएसआईसी को वास्तविक रूप से एवं असली रूप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है, ईपीएफ एवं ईएसआईसी (दोनों का नियोक्ता का अंशदान) विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। बोलीकर्ता अपनी दरों में ईपीएफ एवं ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।
26. जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्च पर पुलिस विभाग द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक क होगा।
- सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्तद की अभ्युक्ति/अधिसूचना प्राप्त होती है तो भापअ केंद्र बिना कोई कारण बताए/ 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए बिना ठेके को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि उसका कोई नुकसान/दियता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह भी अधिकार होगा कि वह सरकार के पास जमा निष्पाकदन गारंटी और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्तदकर ले।

अनुदेश :

27. बोलीदाता को <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर पंजीकृत होना चाहिए। जो बोलीदाता ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

28. उपर्युक्त समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए। उपर्युक्त समय एवं तारीख परमाणु 'A' खोली जाएगी। भाग 'A' खोलने के पश्चात्, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी /पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। योग्यता संबंधी दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार बोलीकर्ताओं को योग्य घोषित किया जाएगा। योग्यता प्राप्त बोलियों को नियम को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'B' (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख की सूचना सभी योग्य बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
29. निविदा खोलने के बाद, बोलीकर्ता लॉग इन करके बोलियों की स्थिति को देख सकते हैं।
30. बोलीकर्ता प्रत्येक मद की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करें। वित्तीय बोली निविदा दस्तारवेज के साथ **BoQ_XXXX.xls** के रूप में <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर उपलब्ध करायी गई है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे **BoQ_XXXX.xls** को यथावत डाउनलोड करें और अनुमति दिए गए कॉलम (अनप्रोटेक्टेड), जो अलग रंग में दिखाया देगा में अपनी दरों को उद्धृत करें तथा अन्यन विवरण (जैसे बोलीकर्ता का नाम) भरें। जैसे ही उक्तम विवरण भर दिया जाएगा उसके पश्चात् बोलीकर्ता को उसे सेव (save) करके फाइल का नाम परिवर्तन किए बिना उसे ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा। **बोलीकर्ता डाउनलोड की गई मूल्य वाली टेम्पलेट में किसी भी प्रकार की संशोधन नहीं करेंगे।** यदि बोलीकर्ता द्वारा कोई सेल खाली छोड़ा जाता है तथा कोई दर उद्धृत नहीं किए जाते हैं तो उसे मद की दर को "0" (शून्य) माना जाएगा।
31. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-
- चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय कारोबार।
 - चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित लाभ एवं हानि विवरण।
 - नवीनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
 - कार्य निष्पातदन हेतु आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची।
 - पैन (स्थातयी खाता क्र.कार्ड)
 - ईएमडी दस्ता वेजों जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी की प्रति।
- vii) पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से योग्य समान कार्यों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र।
- हाथ में काम की सूची दर्शाती है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।
- viii) प्रमाण पत्र:
- पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
 - कार्य अनुभव प्रमाण पत्र / प्रदर्शन प्रमाण पत्र
 - जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - पीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ix). यह वचन देना कि पात्र समान कार्य (कार्यों) को किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैंक टू बैंक आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है।
- x) भाग ए के अनुसार घोषणा: अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा II और खंड 11।
- xi) वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो।
- xii) घोषणा कि बोली लगाने वाले को 3(1) में वर्णित के अनुसार विवर्जित नहीं किया गया है।
- xiii) कंपनी के लेटर हेड में संलग्न-II में संलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अनुसार वचना।

xiv) अनुबंध-III के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) में परिभाषित "वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" होने के संबंध में आधिकारिक पत्र शीर्ष में वचनबद्धता।

टिप्पटणी तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

टिप्पणियाँ:

1. पंजीकृत बोलीदाता केवल निविदाएं जमा/अपलोड कर सकते हैं।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
3. संपर्क या सहायता/स्पष्टीकरण (02525) - 268067/(02525)-293441 .
4. पंजीकरण और ई-निविदा में भागीदारी के लिए सहायता के लिए संपर्क करें:
ए) श्री। भूषण कुमार और श्री. मयूर जाधव न. 022-25487480
बी) किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें।
i) 0120-4001 002
ii) 0120-4001 005
iii) 0120-6277 787
5. साइट विज़िट/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी:
सेवा में: dkbharadwaj@barc.gov.in, apovigilance@barc.gov.in

एनआईटी के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में कोई अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

उप. मुख्य कार्यकारी, एनआरबी/बी ए आर सी)
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से